

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 222/2024  
अनवान : -

1. नत्थुराम पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर हाल निवासी ईदगाह के पास वार्ड न० 5 नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर हाल निवासी ईदगाह के पास वार्ड न० 5 नोहर तहसील नोहर।
2. गिरदावरी पुत्री भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजपाल पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र मोहनी पुत्री भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
6. चमेली पुत्री मोहनी पुत्री भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 24/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स० 196/192 की कुल 9.3460 हैक्ट भूमि भूराराम पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में भूमि भूराराम पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि भूराराम पुत्र रूपराम का स्वर्गवास हो चुका है भूमि भूराराम पुत्र रूपराम के जायज वारिसा सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तथा 4 व 6 जो की वादी की बहिने एवं भान्जी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण भूराराम व मोहनी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में भूमि भूराराम पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूराराम पुत्र रूपराम का स्वर्गवास हो चुका है। भूराराम पुत्र रूपराम के जायज वारिसा सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तथा 4 व 6 जो की वादी की बहिने एवं भान्जी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं० 196/192 की कुल 9.3460 हैक्ट भूमि भूराराम पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी के पिता भूराराम पुत्र रूपराम का स्वर्गवास हो चुका है भूराराम पुत्र रूपराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तथा 4 व 6 जो की वादी की बहिने एवं

भान्जी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके हैं। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक भूराराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 196/192 की कुल 9.3460 हैक्ट भूमि भूराराम पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भूराराम पुत्र रूपराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/4/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 222/2024

अनवान : -

1. नत्थुराम पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर हाल निवासी ईदगाह के पास वार्ड न० 5 नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर हाल निवासी ईदगाह के पास वार्ड न० 5 नोहर तहसील नोहर।
2. गिरदावरी पुत्री भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजपाल पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र मोहनी पुत्री भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
6. चमेली पुत्री मोहनी पुत्री भूराराम जाति खाती निवासी अरड़की तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 222 सन 2024 निर्णय दिनांक - 24/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स० 196/192 की कुल 9.3460 हैक्ट भूमि भूराराम पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भूराराम पुत्र रूपराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

ॐ  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर